फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

ार्थी :– भैरूसिंह
विपक्षी :– उदयसिंह

केस्म मुकदमा – 128 भू.रा.अधि.
पत्रावली संख्या : 53/23

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाए जारी की गई
	दिनांक : 09.12.2023	

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षी संख्या 5 उपस्थित। विपक्षी संख्या 5 द्वारा पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति नही जताई।

प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किया जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 से 4 के विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए जा चुके है। विपक्षी संख्या 5 द्वारा पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपति नही जताई। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हैं। विपक्षीगण प्रार्थीगण की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं हाने से पक्षकारों में आये दिन सीमा को लेकर विवाद बना रहता अतः सीमा को लेकर विवाद होने से विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

–: आदेश :–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि ग्राम माण्डकला पटवार हल्का सिंहाड तहसील भीण्डर खाता संख्या नया 60 की खसरा संख्या 344, 345 किता 2 क्षेत्रफल 2.1100 हेक्टेयर भूमि के चारो दिशाओ की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति पत्थरगढी कराई जाकर [illegible] प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली [illegible] हाेकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.02.09 15:08:33 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय सुनाया गया।